उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1

संख्या'–2545 / तेइस–1–2007–20सा / 07
लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2007

कार्यालय ज्ञाप

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन–धन की क्षति तथा भवनों को आपदा के उपरान्त राहत एवं पुनर्वास के कार्य के स्थान पर आपदा से पूर्व तैयारी तथा जोखिम को कम करने के दृष्टिकोण से आपदा नियंत्रण के कार्यों को विकास कार्यो में शामिल किये जाने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–31–13 / 2004–एन.डी.एम.–!!! दिनांक 15–12–2005 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित होने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी वास्तु संरचनाओं को मानक के अनुसार भूकम्प चक्रवात, बाढ़ तथा अग्निकांड से आपदा प्रतिरोधी बनाये जाने तथा पूर्व निर्मित वर्तमान संरचनाओं में आपदा प्रतिरोधी प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु विशेषज्ञ एवं सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विचारोपरान्त एक आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ (हैजार्ड सेफ्टी सेल) गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(1)	प्रमुख अभियन्ता (विकास) लो.नि.वि. लखनऊ	अध्यक्ष
(2)	मुख्य अभियन्ता (भवन) ले.नि.वि. लखनऊ	सदस्य सचिव
(3)	मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ	सदस्य
(4)	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
(5)	मुख्य महाब्रबन्धक, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. लखनऊ	सदस्य
(6)	मुख्य नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
(7)	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
(8)	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी	सदस्य
(9)	प्रधानाचार्य, राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
(10)	निदेशक, इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी द्वारा नामित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष	सदस्य
(11)	महाप्रबन्धक (डिजाइन), उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. लखनऊ	सदस्य

2– उक्त गठित आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ के उद्देश्य व कार्य निम्नवत् होंगे :–

(क) उद्देश्य –

(1) प्रदेश में भविष्य में निर्मित होने वाली समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी वास्तु संरचनाओं में आपदारोधी प्राविधानों के समावेश हेतु आपदाओं के नियंत्रण सम्बनधी विषयों पर प्रशिक्षण अथवा पुस्तकों, अभिलेखों, मानकों, दिग्दर्शको तथा कृत चित्र आदि खरीद कर नीति–नियामकों के निर्माण हेतु प्रकोष्ठ को स्वयं में समर्थ एवं सक्षम बनाना।

(2) प्रदेश में सभी प्रकार की कंक्रीट, स्अील, ईट आदि से निर्मित संरचनाओं के भूकम्प, तूफान, भूस्खलन, अग्नि आदि के आपदाओं के सापेक्ष वास्तु एवं संरचनात्मक परिकल्पना करने तथा परिकल्पनाओं के परीक्षण करने हेतु क्षमता प्राप्त करना।

(3) प्रदेश में आपदारोधी तथा सुरक्षित भवन निर्माण से सम्बन्धित नियोजन, मानचित्र एवं निर्माण तकनीक समस्त भवनों एवं वास्तु संरचनाओं में लागू किये जाने हेतु दिशा–निर्देश एवं संस्तुतियों का प्रकाशन तथा इस निमित्त विविध–सम्मत कार्यवाही कराना।

(ख) कार्य –

(1) प्रदेश में निर्मित होने वाले विभिन्न राजकीय भवनों के संबंध में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित आधार–भूत परिकल्पना बिंदु निर्धारित करना एवं उनका अनुपालन विस्तृत चेक लिस्ट गठित करके सुनिश्चित कराना तथा पंचायत एवं प्राथमिक विद्यालयों आदि के मानक मानचित्र जिनमें आपदारपोधी प्राविधानों का समावेश हो, निर्धारित एवं निर्गत करना।

(2) प्रदेश के नियमक निकायों एवं स्थानीय निकायों जिनके स्तर पर वास्तु संरचनाओं की प्रारम्भिक परिकल्पना एवं उसका परीक्षण किया जाता है, के लिये वास्तु–संरचनाओं में समुचित आपदा प्रबंधन प्राविधानों का समावेश सुनिश्चित करते हुये दैनिक उपयोग हेतु चेक लिस्ट तैयार करना एवं उपलब्ध कराना।

(3) भविष्य में निर्मित होने वाली समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी वास्तु संरचनाओं में आपदारोधी मानकों के कार्यान्वयन तथा पूर्व निर्मित वर्तमान संरचनाओं में आपदारोधी प्राविधानों के समावेश हेतु नीति–नियामकों के निर्माण हेतु प्रकोष्ठ को स्वयं में सक्षम बनाना, आपदा रोधी प्राविधानों का परीक्षण करने हेतु चेक लिस्ट बनाना और सम्बन्धित से आपदारोधी प्राविधानों का अनुपालन कराना।

(4) प्रदेश में समस्त महत्वपूर्ण एवं बहुमंजिले सरकारी/गैरसरकारी भवनों का परिस्थिति अनुसार अद्यतन मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनपरीक्षरण करना तथा आपदा प्रतिरोधी प्राविधानों को लागू करना।

(5) प्रदेश में निर्माण अभियॉत्रिकी से जुड़े सरकारी विभागों/एजेन्सियों/निकायों/प्राधिकरणों के मध्य आपदा सम्बन्धी प्राविधानों हेतु समन्वय स्थापित करना तथा समय–समय पर तकनीकी उन्नयन हेतु विशिष्ट कोटि के संस्थानों से प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित करवाना।

(6) प्रकोष्ठ नवीन वास्तु संरचना निर्माण में आपदा सुरक्षा सम्बन्धी समस्त पहलुओं पर राज्य के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

(7) प्रकोष्ठ पूर्व निर्मित वर्तमान संरचनाओं के आपदा रोधी प्राविधानों हेतु राज्य सरकार तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों हेतु विषय विशेषज्ञ परामर्शी के रूप में कार्य करेगा।

3– प्रकोष्ठ के संचालन हेतु प्रकोष्ठ में एक अधिशासी अभियन्ता (सिविल), एक सहायक अभियन्ता (स्ट्रक्चरल इंजीनियर), एक स्टेनोग्राफर तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर नियमित रूप से कार्यरत रहेंगे, जिनकी व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यरत स्टाफ में से तैनाती/प्रतिनियुक्ति/सेवा संविदा द्वारा की जायेगी।

प्रशान्त कुमार मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या'–2545(1)/तेइस–1–2007–तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव सिंचाई विभग/सचिव, आवास एवं विकास परिषद् विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. लखनऊ।
9. मुख्य नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ।
13. निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालोजी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. महाप्रबन्धक (डिजाइन), उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. लखनऊ।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
16. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव